न्यायालय सम्माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म०प्र०

R-1139-III/14

१— निशान्त जैन बल्द श्री विजय कुमार जैन,
२— संकल्प जैन बल्द श्री नरेन्द्र कुमार जैन,
द्वारा कारंदाआम — निशान्त जैन,
निवासी — मोतीनगर वार्ड सागर म०प्र० ..... पुनरीक्षणकर्ता

// विरूद्व //

मध्यप्रदेश शासन ..... प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण क्र० प्रस्तुत दिनॉक—

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता १९५९ —:

उक्त पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर तहसील व जिला सागर के अपील प्रकरण क्रमॉक ७ अ/१२ वर्ष २०१२३—१४ पक्षकार निशान्त जैन एवं अन्य विरूद्व म० प्र० शासन में पारित आदेश दिनॉक ४/३/२०१४ में पारित आदेश एवं राजस्व निरीक्षक नरयावली सागर के प्र० क्र० ५२ अ /१२ /२०१३ में पारित आदेश दिनॉक १/७/२०१३ से परिवेदित होकर सम्माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत करते है —:

।। पुनरीक्षण के आधार ।।

१— यहकि अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाना न्यायहित मे है ।

२— यहकि पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी कृषि भूमि मौजा पाटन पटवारी हल्का नंबर १८/९१ राजस्व निरीक्षक मंडल नरयावली तह व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर ६०२ रकबा ०.८०हेक्टेयर एवं ख० नं० ६०३/१ रकबा ०.२१ हेक्टेयर कुल १.०१ हेक्टेयर का सीमांकन करवाने का आवेदन श्रीमान नायब तहसीलदार सर्किल नरयावली सागर के समक्ष २२/५/१३ को पेश किया । तथा दिनॉक २४/५/१३ को विधिवत चालान द्वारा सीमांकन शुल्क सौ रूपये जमा किये ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 2239–III/14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29.4.2014	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, नरयावली सागर व्दारा प्रकरण कमांक 52/अ–12/2013 में पारित आदेश दिनांक 1–7–2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि राजस्व निरीक्षक नरयावली को आवेदक ने भूमि सर्वे नंबर 601 एंव 603 के कुल रकवा 1.01 हैक्टर के सीमांकन का आवेदन मय सीमांकन शुक्ल के दिया था, राजस्व निरीक्षक ने मौके पर जाने की कोई लिखित सूचना नहीं दी तथा आवेदक की अनुपस्थिति बताते हुये सीमांकन आवेदन आदेश दिनांक 1–7–13 से निरस्त कर दिया। आवेदक के अभिभाषक ने भूल से प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सागर के समक्ष कर दी, जो प्रकरण कमांक 7/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–3–14 से निरस्त की है अभिभाषक की त्रृटि से गलत न्यायालय में लगा समय मुजरा करने पर निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की गई है जो सुनवाई हेतु ग्राह्य की जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर	

R/139-III/14

विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, सागर के आदेश दि. 4–3–14 अनुसार गलत न्यायालय में व्यतीत समय मुजरा करने पर निगरानी समयावधि में है।

4/ राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण में दिये गये आदेश दिनांक 1–7–13 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आवेदक के मौके पर उपस्थित न होने के कारण सीमांकन में रूचि न होना अंकित करते हुये सीमांकन आवेदन निरस्त किया है, जबकि आवेदक ने सीमांकन हेतु विधिवत् 100/–रू. का चालान शुल्क के रूप में जमा करके सीमांकन किये जाने की मांग की है।

5/ राजस्व निरीक्षक की आर्डरशीट दिनांक 11–6–13 अनुसार सीमांकन किये जाने वाली भूमि की चतुर–सीमा के कृषकों को सूचना जारी किये जाने का उल्लेख है किन्तु सीमांकन हेतु तारीख क्या निर्धारित की एंव आगे पक्षकारों की सुनवाई हेतु कोई तारीख नियत न करते हुये सीधे 11–6–13 के वाद दिनांक 1–7–13 को सीमांकन आवेदन निरस्ती का आदेश दिया है। स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया ही राजस्व निरीक्षक की कार्यवाही दूषित है।

6/ उपरोक्त कारणों से निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रकरण कमांक 52 अ 12/2013 में पारित आदेश दिनांक 1–7–13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते

R 1139-III/14

प्रकरण कमांक निग. 2239–III/14

हैं कि पुनः सीमांकन हेतु तिथि निर्धारित कर आवेदकगण को एंव मेढ़िया कास्तकारो व्यक्तिगत सूचनाए के साथ ग्राम मे सार्वजनिक सूचना की जावे, तदुपरांत सीमांकन कर, हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई की जाकर पुनः सीमांकन आदेश पारित किया जावे।

29/4/14

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर